राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5870/2021

श्याम प्रताप प्रजापत –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, छाण, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर।
5. प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नवीन विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 10.11.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राम प्रताप सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (चित्रकला) के पद पर डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, छाण, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.07.2020 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवरी कलां, अकलेरा, झालावाड़ से एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, जयपुर के नियन्त्रणाधीन राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय वर्तमान पदस्थापन स्थान के लिए दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.10.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर वर्तमान पदस्थापन से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नवीन विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, जयपुर स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 के क्रम में नवीन विद्यालय के लिए कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 01.11.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को

अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने हेतु एनओसी जारी करने का निवेदन किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 की पालना में अनुपालना में अपीलार्थी को स्थानान्तरित स्कूल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नवीन विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, जयपुर के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है तथा शीघ्र कार्यमुक्त करावे।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.10.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना में अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नवीन विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, जयपुर के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश प्रदान किए जावे।

अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

आलोच्य आदेश परिशिष्ट–1 दिनांक 28.10.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर वर्तमान पदस्थापन से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नवीन विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, जयपुर किया गया है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को आलोच्य आदेश की पालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नवीन विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, जयपुर के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध तथा न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रत्यर्थी संख्या 3 तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 को निर्देश दिए जाते है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 की पालना में अपीलार्थी को उक्त आदेश में स्थानान्तरित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नवीन विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, जयपुर के लिए इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने के 07 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य